न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम देवरिया तहसील फुलियाकलां

प्रकरण संख्या – 107/2020
पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1 रामकिशन पिता मोहन लखारा उम्र वयस्क निवारी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

————————(प्रार्थी)

वनाम

1 लादू दास पिता कजोड दास बैरागी उम्र वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 कन्हैयालाल पिता भूरा जाट उम्र वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 मिश्री जाट पिता भूरा जाट उम्र वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 लादू पिता मोती जाट उम्र वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5 भैरू पिता हजारी जाट उम्र वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

————————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक – 22.10.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 03.11.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम देवरिया पटवार मण्डल देवरिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 503 के **आ.न. 780 रकबा 0.04 हैक्टयर,** खतौनी संख्या 404 के **आ.न. 783, 784, 785, 787 कुल रकबा 1.80 हैक्टयर भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 03.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस वाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अपना पक्ष रखने, हाजिर नही आये। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम देवरिया दिनांक 22.10.2021 के लिए पंजीवद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत वहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम देवरिया पटवार मण्डल देवरिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 503 के **आ.न. 780 रकबा 0.04 हैक्टयर,** खतौनी संख्या 404 के **आ.न. 783, 784, 785, 787 कुल रकबा 1.80 हैक्टयर** भूमि की पत्थरगढ़ी वसामलात पक्षकारान किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि वावत् सूचित [illegible] न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थि[illegible] नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। [illegible] का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ [illegible] खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible]

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। [illegible] आज दिनांक 22.10.2021 [illegible] गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम देवरिया के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा
फुलियाकलां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by RajKesh Meena
Date: 2021.12.21 11:35:57 IST
Reason: SelfAttested